UPBN010020092026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–612/2026

रवि बनाम राज्य
मु०अ०सं०–107/2025
धारा–115(2), 117(2), 351 (2), 352, 109 बी.एन.एस.
थाना–उझानी, जिला–बदायूँ।

आदेश

17–03–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **रवि** की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र **मु०अ०सं०–107/2025, धारा–115(2), 117(2), 351 (2), 352, 109 बी.एन.एस., थाना–उझानी**, जिला–बदायूँ के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सन्दीप कुमार गुप्ता द्वारा थाना उझानी, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थी संदीप कुमार गुप्ता पुत्री कन्हैया लाल गुप्ता निवासी वार्ड न० 06 कछला थाना उझानी जनपद बदायूँ का मूल निवासी हूँ, प्रार्थी अपने दोस्तों उपेन्द्र कुमार सिंह व रघुवीर सिंह के साथ अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर वार्ता कर रहा था कि अचानक भट्टा नगला निवासी रवि पुत्र लवकुश, प्रवेश पुत्र पप्पू, व भूरा पुत्र अगरपाल अपने दोस्तों के साथ मेरे घर के सामने अपने अपने हाथों में डंडा लेकर हम लोगों को माँ बहन की गाली–गलौंज देने लगे। हम लोगों ने मना किया तो कहा कि सालो आज हम हाथों में डण्डा लेकर हम लोगों को माँ बहन की गाली गलौंज देने लगे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बहुत दिनों से तुम लोगों की तलाश में थे और इतना कहने पर मैं अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर जाने लगा, तो उसमें से दो–तीन लोग हाथ में डण्डा लेकर जान से मारने की नियत से डण्डे से प्रहार कर दिया, जिसमें मुझे व मेरे दोस्तो को काफी गम्भीर चोट आई और एक दोस्त रघुवीर सिंह का डण्डा मारकर एक हाथ तोड दिया और सिर भी फाड दिया। जैसे तैसे हम लोग अपने घर के अन्दर होकर चिल्लाने लगे कि मेरे घरवालों को आता देख वह लोग वहाँ से लाठी डण्डा लेकर फरार हो गए। सूचना दे रहा हूँ प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण प्रवेश, भूरा व एक अन्य नाम पता अज्ञात के विरूद्ध संबंधित थाना पर मु०अ०सं०–107/2025, धारा 115(2), 117(2), 351

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.03.17 14:46:29 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(2), 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मामले में धारा–109 बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्त प्रवेश का नाम प्रकाश में आया।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि उक्त वाद में प्रार्थी /अभियुक्त को झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ स्वतंत्र सदस्य नहीं है। प्रार्थी /अभियुक्त का नाम एफ०आई०आर० में शक के आधार पर लिखाया गया है। मजरूब के चोटें साधारण प्रकृति की डॉक्टरी मुआयना में दर्शायी गयी है। चुटैल के सिर में हड्डी कोई भी फ्रैक्चर नहीं है। सह–अभियुक्त प्रवेश की जमानत स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला प्रवेश की तरह ही है। एक सामान्य केस है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः दौरान वाद जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की कृपा की जाय।

5– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

6– केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा, जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था उसे व उसके दोस्तों को जान से मारने की नीयत से डंडे से प्रहार करना, जिससे वादी व उसके दोस्तों को गंभीर प्रकृति की चोटें आना आदि तथ्य कहे गए हैं। **मजरूब उपेन्द्र कुमार** की मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब को पाँच चोटें आना दर्शित हैं, जिनमें चोट नंबर 1,3,4 व 5 को **साधारण प्रकृति** की होना उल्लिखित किया गया है तथा नंबर दो को जेरे निगरानी रखा गया तथा एक्स–रे रिपोर्ट में नजल बोन में फ्रेक्चर होना दर्शित है। मजरूब संदीप कुमार की मेडिकल रिपोर्ट में मजरूब को **02 साधारण प्रकृति की चोटें आ**ना उल्लिखित है तथा मजरूब रघुवीर की मेडिकल आख्या में मजरूब को पाँच चोटें आना दर्शित हैं, जिनमें चोट **नंबर 2,3 व 5 को साधारण प्रकृति** की होना उल्लिखित किया गया है तथा नंबर एक व चार को जेरे निगरानी रखा गया, परंतु तथा एक्स–रे रिपोर्ट **में सिर में कोई फ्रैक्चर आदि दर्शित न**हीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। अभियुक्त दिनाँक 10–03–2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में **सह–अभियुक्त प्रवेश** की जमानत इस न्यायालय द्वारा **स्वीकार** की जा चुकी है। अतः वाद के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुऐ इस स्तर पर आधार जमानत पर्याप्त है। प्रार्थी/अभियुक्त **रवि** द्वारा अंकन **एक लाख रूपये** का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि के **दो** जमानती सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी सन्तुष्टि के अनुरूप निष्पादित एवं स्वीकृत करने व धारा–437(3)

दं0 प्र 0 सं0 के अधीन लगायी गयी निम्न शर्तो के अनुसार उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. **आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।**
2. **आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमे के परीक्षण में सहयोग करेगा।**
3. **जबतक कि आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।**
4. **इस दौरान आवेदक/अभियुक्त किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।**

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।
J.O.Code–U.P.6516

दिनांक–17–03–2026

संजीव कुमार